न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/93

बडी कोरानी ठिकाना कुन्हाडी कोटा रिद्वि–सिद्धि पत्नी स्व0 श्री गजेन्द्र सिंह जी निवासी कुन्हाडी, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मुन्नी लाल आत्मज बिशना जी जाति धाकड ।
2. मोहन लाल आत्मज बिशना जी जाति धाकड निवासीगण सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लीलाधर अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 92 (ए) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सारोला तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 537 की 1.48 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता बिशना के नाम खातेदार जैली के रूप में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि श्रीमती बडी कारोणी जी ठिकाना कुन्हाडी के नाम से दर्ज चली आ रही है किन्तु उक्त भूमि पर वादीगण का व उनके पूर्व उनके पिता जैली काश्त के रूप से काबिज चले आ रहे थे जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकित है तथा उनकी मृत्यु के बाद जैली के रूप में वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं । उक्त भूमि पर बडी कोराणी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में से श्रीमती बडी कोराणी जी कुन्हाडी का नाम डिलीट फरमाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.12.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए दावा डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 12.12.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि खातेदार व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अपीलान्ट के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से हित प्रभावित हुए हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं क्योंकि वह वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय में उसे पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार हैं और उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बताया है जबकि रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य होता है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थिति है वादीगण रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को जैली काश्तकार बताकर हक, घोषणा का दावा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय में केवल राज्य सरकार प्रतिवादी को नोटिस जारी कर दावा डिक्री किया है और अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर रेस्पोडेन्ट के नाम

खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं जो त्रुटिपूर्ण है । किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने से पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है परन्तु इस प्रकरण में रिकॉर्डेड खातेदार को न तो नोटिस दिये गये न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । दावा **nonjoinder of necessary parties** के नुक्स से प्रभावित है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 321 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने दिनांक 14.08.2018 को बहस हेतु समय चाहा था । दिनांक 14.08.2018 को अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनकर पत्रावलरी दिनांक 27.08.2018 को आदेश में नियत की गई और रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक को निर्देशित किया गया कि दिनांक 27.08.2018 से पूर्व बहस कर सकते हैं । दिनांक 27.08.2018 को रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पेश किया और यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की मृत्यु 02 वर्ष पूर्व हो चुकी है । मृत्यु की सूचना रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायहित में लिया जाना आवश्यक है । मृतक के वारिसान में रामस्वरूप, प्रेमशंकर, चन्द्रप्रकाश, सुरेश पुत्र संजू बाई, राजेश बाई पुत्री और सुन्दर बाई पत्नी है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की मृत्यु की सूचना रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

12. इस प्रार्थना पत्र का विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब पत्रावली आदेश में लम्बित है तो उसमें किसी प्रार्थना पत्र को न तो पेश किया जा सकता है और न ही उस पर बहस की जा सकती है । अपने पक्ष के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 08.07.2016 **Govt. of NCT of Delhi** बनाम **Union of India** , राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्णय दिनांक 20.03.2002 एवं राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2000 उद्धरत किये ।

13. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट को प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी से क्या सम्बन्ध है तथा अपीलान्ट को उक्त आराजी पर क्या विधिक अधिकार प्राप्त हैं । इस बाबत् अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं । अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो में कहीं भी यह आलेखित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी का कभी उन्होंने उपयोग एवं उपभोग किया है । बडी कौरानी कौन है वर्तमान में मौजूद है या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है । रेस्पोडेन्ट बिशना के वारिस हैं । बडी कौरानी रिद्धि सिद्धी कुमारी ही हैं यह प्रमाणित नहीं होता है । रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के बडे भाई का दिनांक 24.08.2016 को स्वर्गवास हो चुका है जिसकी सूचना दिनांक 27.08.2016 को दी जा चुकी है । अपीलान्ट ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है अपील अबेट होने योग्य है । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा सशपथ जवाब प्रस्तुत किया है जिसका भी अपीलान्ट द्वारा कोई खण्डन नहीं किया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण पर भी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 जिसके अनुसार नया खाता 200 की आराजी खसरा नम्बर 537 रकबा 1.48 हैक्टर श्रीमती बडी कौराणी ठिकाना कुन्हाडी जैली बिशना पिता खैमा जाति धाकड दर्ज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार बडी कौराणी जी को पक्षकार नहीं बनाया गया है । बिना खातेदार कृषक को पक्षकार बनाये हक, घोषणा का दावा डिक्री किया गया है न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है ।

16. रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 27.08.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह अवगत करवाया गया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की मृत्यु 02 वर्ष पूर्व हो गई है । अपील दिनांक 08.12.2016 से लम्बित है जब पत्रावली बहस के उपरान्त निर्णय में आई तब रेस्पोडेन्ट के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की मृत्यु 02 वर्ष पूर्व हो चुकी है जबकि उनकी भी जिम्मेदारी थी कि सही समय पर न्यायालय को इसकी सूचना देते । अभिभाषक अपीलान्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनाक 08.07.2016 एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.2002 और दिनांक 24.10.2000 को उद्धरत किया है जिसके अनुसार जो पत्रावली आदेश में लम्बित है तो उसमें उसके बाद कोई प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं होगा । विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत इन नजीरों की रोशनी में हम रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र बाबत् कायममुकामान पर निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से हम इस प्रकरण में खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे ये निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

18. रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के मृत्यु की जानकारी दी गई है उसके अुनसार अधीनस्थ न्यायालय में मृतक के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को प्रतिवादी बनाकर जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना

स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । मृतक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेकर अग्रिम कार्यवाही करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा